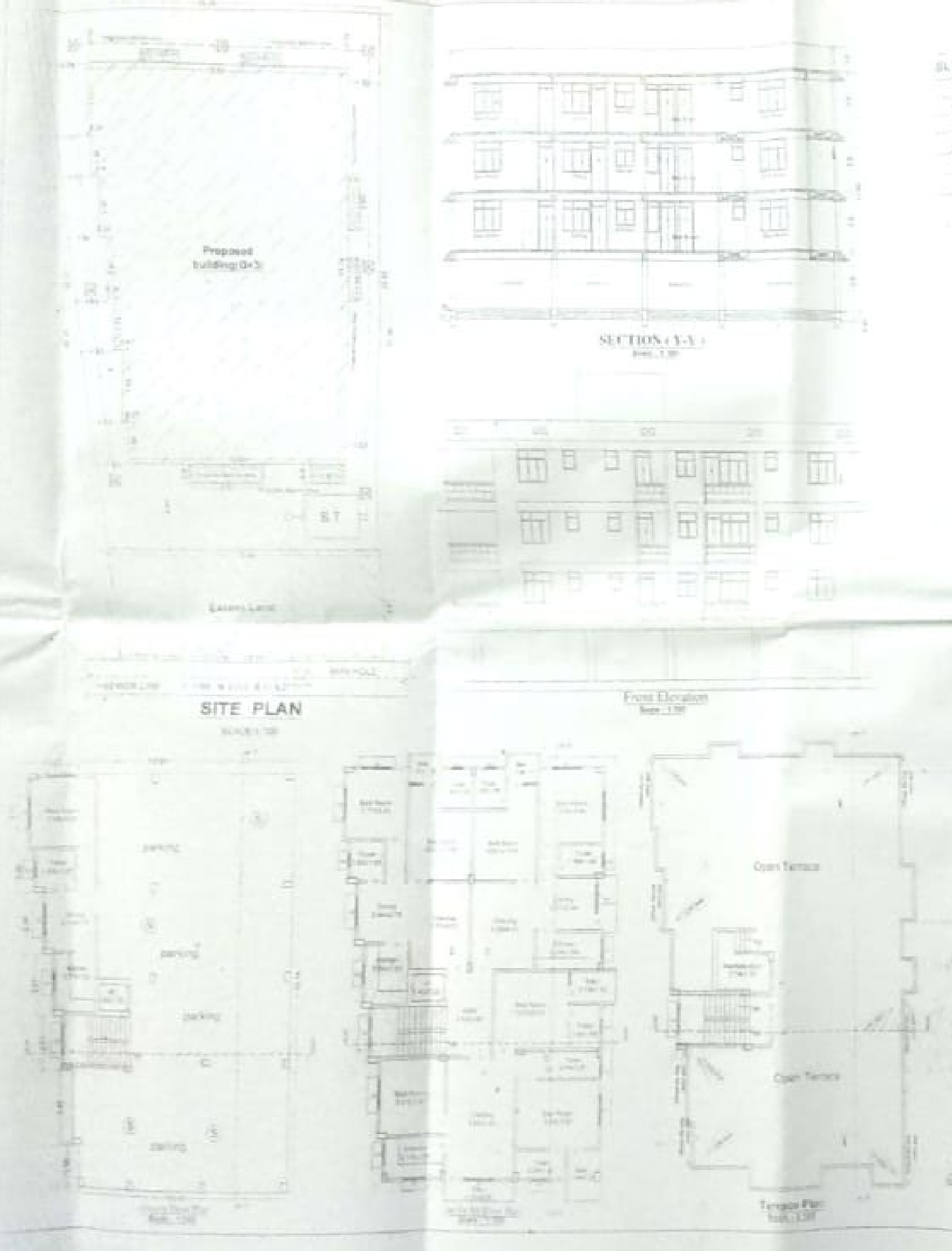

SCHEDULE OF DOORS AND WINDOWS

SL.NO	TYPE	WIDTH	HEIGHT	S.LVL	LINTEL LEV	REMARKS
1	D	1.07	2.54	0.00	2.39	PANNELED
2	D1	0.91	2.54	0.00	2.39	PANNELED
3	D2	0.76	2.54	0.00	2.39	PANNELED
4	W	1.37	1.47	0.91	2.39	PANNELED
5	W1	0.91	1.37	1.22	2.39	PANNELED
6	W2	0.61	1.22	1.47	2.39	GLAZED

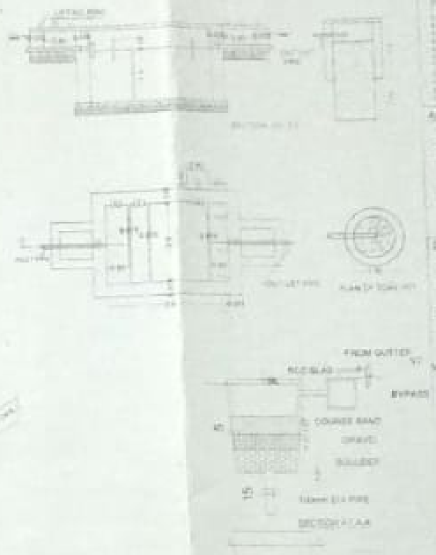

AREA CALCULATION

OCCUPANT LODE
RESIDENTIAL

PARKING CALCULATION

WATER SUPPLY CALCULATION

SEPTIC TANK CALCULATION

प्रमाणित किया जाता है कि भवन उपविधि एवं भवन निर्माण के ... उपविधि 2014 के लिए गए प्रावधानों का अनुपालन करते हुए नक्शा बनाया गया है।

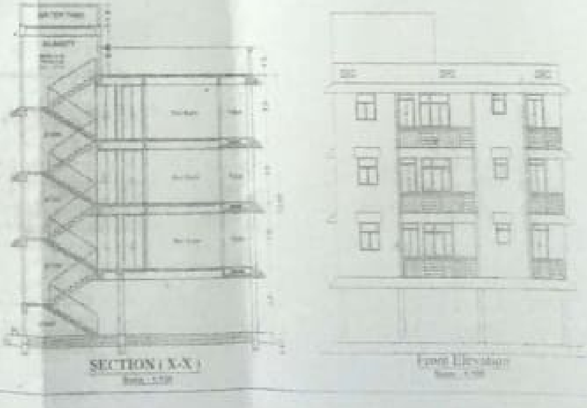

DET.OF RECHARGEBLE BORE WALL

WATER HARVESTING CALCULATION -
0.100 X 225.86 = 13.55 CUM
PROVIDED - 2.0X2.0X5 = 20.0 CUM

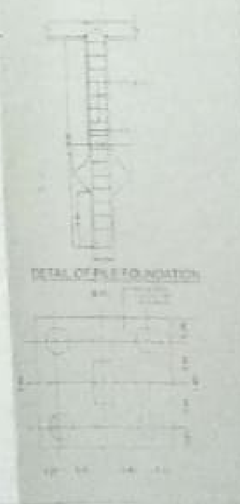

Building Plan - 45/17-18

फारम-VIII - क

कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- **452** तिथि- **23.05.2017** के संदर्भ में

श्री विरजेश्वर नाथ तिवारी, पिता-स्व0 रामचिज तिवारी, श्री राजीव रंजन तिवारी, श्रीमती प्रिया तिवारी, पिता-विरजेश्वर नाथ तिवारी, पता-लेखानगर, दानापुर, पटना।

(क) आवासीय भवन के निर्माण

(ख) व्यवसायीक भवन के निर्माण

(ग) भवन के पुनःनिर्माण

(घ) विद्‌यमान भवन में परिर्वतन या परिवर्धन

(ड़) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के 452 **प्लौट नं0- 44, खाता नं0- 185, तौजी नं0-5276, थाना नं0-36, मौजा- मुस्तफापुर, पता-थाना-दानापुर, जिला- पटना** के बाबत निम्नलिखितशर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0-45/17-18 है, जिसका **निर्माण क्षेत्रफल 720.98 वर्ग मीटर** एवं **G+3** की स्वीकृति दी जाती हैः-

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया **182.46** वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि **6.10 मी0** चौड़ाई के अनुमोदित पहूंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड़) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ

नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में **00.00 वर्ग मीटर** चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(ञ) अन्य शर्त

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांकः- ....45..../दिनांकः- ....30/06/2017....
प्रतिलिपिः- श्री विरजेश्वर नाथ तिवारी, पिता-स्व0 रामचिज तिवारी, श्री राजीव रंजन तिवारी, श्रीमती प्रिया तिवारी, पिता-विरजेश्वर नाथ तिवारी, पता-लेखानगर, दानापुर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत